भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1890

(दिनांक 16.03.2023 को उत्तर के लिए)

सूचना आयुक्तों की कमी

1890. श्री नीरज डांगी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन मामलों के लंबित रहने का मुख्य कारण सूचना आयुक्तों की कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सूचना आयुक्तों की भर्ती के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में देश में सूचना आयुक्तों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार आरटीआई आवेदन के निपटान हेतु 30 दिन की एक निर्धारित अवधि है, अतः लंबित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों पर राज्य-वार डाटा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

(ग) : केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 07.11.2020 को तीन (03) सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे।

(घ) : सूचना आयुक्तों की संख्या के संबंध में राज्य-वार डाटा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

*****